

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.5(3)14/सम/डीईएस/2011/ 77

जयपुर

दिनांक:- 27-01-2023


महा निदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन (MOSPI)
सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली।

विषय:- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नोडल अधिकारी पदाभिहित करने के संबंध में।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 7) की धारा 3A की उप धारा (1) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजस्थान को उक्त अधिनियम के अधीन सांख्यिकी के प्रयोजन के लिये एवं नियमों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित कर राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डॉ. आनंद प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप महा निदेशक, राष्ट्रीय आय प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन (MOSPI) सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली।
2. उप महा निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन (MOSPI) कमरा नं. 8, आठवां तल, जीवन प्रकाश भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय शासन सचिवालय, जयपुर
8. विशिष्ट सहायक, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त संभागीय आयुक्त/ समस्त जिला कलेक्टर।
12. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त राज्य।
13. समस्त उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी.....।
14. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय, मुख्यालय।
- ✓ 15. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।


निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 19, गुरुवार, शके 1941-जनवरी 9, 2020
Pausa 19, Thursday, Saka 1941-January 9, 2020

भाग-1(क)

नियुक्तियों छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां ।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2019

संख्या एफ 5 (3)14/सम/डीईएस/2011 :-सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 7) की धारा 3Aकी उप-धारा (1) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजस्थान को उक्त अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय के प्रयोजन के लिये एवं नियमों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अभय कुमार,
प्रमुख शासन सचिव।